प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

विधान सभा प्रश्न परिशिष्ट - 4693 तारांकित   परिशिष्ट "अ" (01)

प्रश्न सं. [क्र. 4693]

पंजीकृत-डाक

मठप्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, जेल रोड, किसान भवन, भोपाल

क्र0/सतर्कता/103-24/2015/रतलाम/ 2513   भोपाल, दिनांक 09/11/16

प्रति,

सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति, रतलाम
जिला-रतलाम (म0प्र0)

विषय :- हरमाला रोड रतलाम में बगैर अनुमति फूल एवं फलों की नीलामी कर कमीशन वसूल किये जाने के संबंध में।

सन्दर्भः- उप संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, उज्जैन का पत्र क्रमांक/सतर्कता/बोर्ड/2016/384 दिनांक 20.09.2016

संदर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन से यह ज्ञात होता है कि कृषि उपज मण्डी समिति, रतलाम के अन्तर्गत पुराने मंडी प्रांगण सैलाना बस स्टेण्ड में वर्ष 2007 से केवल हरी सब्जी का विपणन संचालित है, जिसके लिये मंडी प्रांगण में आवश्यक सुविधाएं विकसित की गयी है, परन्तु फलों की नीलामी हेतु मंडी प्रांगण में पर्याप्त स्थान उपलब्ध न होने से फलों का विपणन निजी भूमि/भवन में हो रहा है जहां मंडी कर्मचारी पदस्थ नही है। यद्यपि मंडी समिति रतलाम फल-सब्जी हेतु अधिसूचित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि फल के उत्पादक/कृषक के हित संरक्षण के लिये हरी सब्जी के समान ही मंडी प्रांगण में उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत फल के व्यवसाय हेतु भी स्थान व सुविधा उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही मंडी क्षेत्र रतलाम के अन्तर्गत फूलों के व्यवसाय का आंकलन कर नियमानुसार फूल मंडी के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करे, तदोपरांत मंडी समिति रतलाम को फूल के लिये अधिसूचित कराने के लिये निर्धारित प्रक्रिया एवं उचित माध्यम से यथाशीघ्र प्रस्ताव भेजना सुनिश्चत करे।

(कार्यवाही प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित)

उप संचालक(सतर्कता)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोड
भोपाल

पृ0क्र0/सतर्कता/103-24/2015/रतलाम/2514   भोपाल, दिनांक 09/11/16

प्रतिलिपिः- उप संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, उज्जैन की ओर लेख है कि आपके द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन क्रमांक-384 दिनांक 20.09.2016 मे उल्लेखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये स्थानीय उत्पादक एवं कृषकों की मांग को देखते हुये अनुरोध है कि उपरोक्त वस्तुस्थिति का आंकलन कराते हुये इस दिशा में तत्परता से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

उप संचालक(सतर्कता)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोड
भोपाल

O/C

उप संचालक
मण्डी बोर्ड

C:\Sahdev\File Latter

विधान सभा प्रश्न क्रमांक-4693 तारांकित

(02)

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, जेल रोड, किसान भवन, भोपाल

क्र0/सतर्कता/103-24/रतलाम/ 2573 भोपाल, दिनांक 18/11/2016

प्रति,

उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
जनशिकायत निवारण विभाग,
मंत्रालय भोपाल

विषय :- हरमाला रोड रतलाम में बगैर अनुमति फूल एवं फलो की नीलामी कर कमीशन वसूल किये जाने बावत।

सन्दर्भः- मध्यप्रदेश शासन, जन शिकायत निवारण विभाग की पीजीआर क्रमांक-10009230 दिनांक 30.09.2015

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त शिकायतकर्ता- श्री सलीम मोहम्मद, अध्यक्ष, आड़तिया संघ कृषि उपज मण्डी समिति सैलाना बस स्टेण्ड रतलाम द्वारा की गई। उप संचालक, उज्जैन द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के परीक्षण से तथ्य प्रकाश में आया है कि कृषि उपज मण्डी समिति, रतलाम के अन्तर्गत पुराने मंडी प्रांगण सैलाना बस स्टेण्ड में वर्ष 2007 से केवल हरी सब्जी का विपणन संचालित है, जिसके लिये मंडी प्रांगण में आवश्यक सुविधाएं विकसित की गयी है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012 में मंडी अधिनियम में धारा 6 के अन्तर्गत स्थापित प्रावधान अन्तर्गत फल-सब्जी (केला को छोड़कर) का व्यवसाय मंडी प्रांगण के बाहर करनें का विकल्प क्रेता एवं विक्रेता को प्राप्त है। मंडी प्रांगण के बाहर संचालित होने वाले फल-सब्जी के व्यापार पर मंडी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होने से उस पर मंडी प्रशासन का नियंत्रण नही रहता है। ऐसी स्थिति में रतलाम में निजी स्थान पर संचालित फल के व्यवसाय में व्यापारियों को मंडी की अनुज्ञप्ति प्राप्त करनें या किसानों से 10 प्रतिशत की दर से आढ़त काटे जाने के विरूद्ध कार्यवाही करनें हेतु मंडी प्रशासन तब तक सशक्त नहीं हो सकेगा, जब तक फल के व्यवसाय को भी मंडी प्रांगण के अन्दर नही लाया जाता है। इसी प्रकार फूल के लिये मंडी समिति, रतलाम को अधिसूचित कराए बिना फूल के व्यवसाय में नियमन लागू कराना मंडी के लिये संभव नहीं है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में कृषकों के हितो को दृष्टिगत रखते मंडी प्रागण रतलाम में फलों के विपणन हेतु समुचित व्यवस्था करने तथा फूल के व्यवसाय का आंकलन कर उसके लिये मंडी रतलाम को अधिसूचित कराने की कार्यवाही भी पत्र क्रमांक/सतर्कता/103-24/2015/रतलाम/2513-14 दि. 09.11.16 से मंडी सचिव, रतलाम को निर्देशित किया गया है। सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र छायाप्रति संलग्न है।

कृपया उपरोक्त वस्तुस्थिति से अवगत होते हुए प्रकरण लंबित पीजी क्रमांक-10009230 दिनांक 30.12.2015 प्रकरण विलोपित कराने का कष्ट करे।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

(कार्यवाही प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित)

उप संचालक(सतर्कता)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

C:\Sahdev\File Letter

उप संचालक
मण्डी बोर्ड

विधान सभा प्रश्न क्रमांक-4693 तारांकित

(03)

पृ0क्र0/सतर्कता/103-24/रतलाम/ 2574 भोपाल, दिनांक 18/11/2016

प्रतिलिपि :-

1- उप संचालक (नियमन) मण्डी बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल की टीप क्रमांक-4889 दि. 14.10.15, 5281 दिनांक 17.12.15, 5299 दिनांक 26.12.15 एवं 5300 दिनांक 26.12.2015 तथा सतर्कता शाखा की टीप क्रमांक-2512 दिनांक 09.11.2016 के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- शिकायकर्ता- श्री सलीम मोहम्मद, अध्यक्ष, आड़तिया संघ कृषि उपज मण्डी समिति सैलाना बस स्टेण्ड रतलाम की सूचनार्थ।

3- श्री आनन्दीलाल ठन्ना, फल उत्पादक किसा संघ, जिला-रतलाम की ओर सूचनार्थ।

4- श्री आर.एस. गुप्ता, विशेष कक्ष प्रभारी, मण्डी बोर्ड मुख्यालय की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप संचालक(सतर्कता)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

परिशिष्ट-"अ" प्रपत्र 01 से 03 तक

O/C

उप संचालक
मण्डी बोर्ड

C-/2Sahdev File Latter